

**सारण समाहरणालय, छपरा**  
**(जिला योजना कार्यालय)**

**आदेश**

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक - 10.11.2011 एवं पत्रांक 3757 दिनांक 02/09/13 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक - 09.10.2013 को माननीय जिला प्रभारी मंत्री -सह- अध्यक्ष जिला चयन समिति सारण, छपरा की अध्यक्षता में आयोजित जिलास्तरीय चयन समिति की बैठक में प्रखंडवार/नगरनिकायवार अनुमोदित योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभि० स्थानीय क्षेत्र अभिकरण संगठन कार्य प्रमण्डल -01 छपरा के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पत्रांक 1680 दिनांक 31.12.2013 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। अतः कार्य० अभि० स्थानीय क्षेत्र अभि० संगठन कार्यप्रंडल -1 छपरा के द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर निम्नालिखित योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही निदेश है, कि निम्नांकित योजनाओं का संबंधित अंचलधिकारी से जमीन सरकारी होने का प्रतिवेदन प्राप्त कर ही योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जाय।

क्र०	चयनीत सूची क्रमांक	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनाओं का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय सदस्य का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	121	गरखा	गरखा प्रखंड में एन०एच०- 102 पेट्रोल पम्प के आगे पैगम्बर पुर रोड़ में पी०सी०सी० पथ के दोनो तरफ सोलिंग मिट्टीकरण कार्य।	299500	299500	श्री सलीम परवेज
			<b>कुल योग :-</b>	<b>299500</b>	<b>299500</b>	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- ( दो लाख नानावे हजार पाँच सौ रुपये मात्र)

**कार्यकारी एजेन्सी का नाम :-** इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल- 1 छपरा द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 3757 दिनांक 02.09.2013 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रभार प्रसार के द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

**कार्यान्वयन की शर्तें**

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की ज़िंजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय।
2. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
4. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
5. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
6. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
7. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
8. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
9. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
10. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के

पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।

11. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

*K. Prasad*  
05/2/14  
जिला योजना पदाधिकारी  
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....141/यो0 दिनांक.....6.2.14

प्रतिलिपि :- । कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल - 1 छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0 टी0 मैनेजर एन0 आई0 सी सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे/संबंधित अंचलधिकारी जिला सारण को सूचनार्थ एवं जिदेश है। कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

*K. Prasad*  
05/2/14  
जिला योजना पदाधिकारी  
सारण, छपरा।